281 Major Port Trusts ASADHA 31, 1896 (SAKA) Major Port Trusts (Amdt.) Bill (Amdt.) Bill

MR. SPEAKER: I am sorry. Before this, there is another Bill to be introduced by Shri Kamlapati Tripathi. As soon as the previous item is over and his item comes up, he should get up.

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI KAMLA-PATI TRIPATHI): I had got up but meanwhile you had called Shri D. K. Borooah.

13.58 hrs.

MAJOR PORT TRUSTS (AMEND-MENT) BILL*

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI KAMLA-PATI TRIPATHI): I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Major Port Trusts Act, 1963.

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Major Port Trusts Act, 1963."

श्री मध् लिमये (बांका) : इन्होंने मेजर पोर्ट ट्रस्ट एमेंडमेंट बिल पेश करना चाहा है। इस बिल के सम्बन्ध में केवल एक महत्वपर्ण बात उठाना चाहता हं। बम्बई में जो पोर्ट ट्रस्ट है उसने समद्रकी जमीन को भर कर 1300 एकड जमीन तैयार की है। महाराष्ट्र सरकार ने रेक्लेमेशन योजना बनायी है, ग्रौर सब बम्बई में इसके ऊपर विवाद चल रहा है कि समुद्र के नीचे की जो जमीन है उस पर मिलकियत किसकी होनी चाहिए। संविधान की दफा 297 में कहा गया है कि टैरिटोरियन वाटर्ज के नीचे की जो जमीन है वह युनियन आरफ इंडिया की है केन्द्र सरकार की है। लेकिन बंक वे रिक्लेमेशन स्कीम के तहत लो वाटर मार्क के समद्र की तरफ जो जमीन है उसको भी गैर-कानुनी ढंग से बेचा जा रहा है ग्रीर लाखों रूपया उस में बनाया जा रहा है। बम्बई पोर्ट ट्रस्ट एक्ट के तहत किनारे की फोरशोर वाली जो जमीन है वह पोर्ट ट्स्ट की मिलकियत है।

बम्बई सरकार उसको कैसे बेच रही है। ग्रब इस के बारे में इस बिल में स्पष्ट प्रावधान नहीं होगा तो विवाद चलते रहेगें। बम्बई में पोर्ट ट्रस्ट की जो जमीन हैं केन्द्र की जो जमीन है उस के ऊपर ग्राकमण हो रहा है। इस विधेयक में इसके बारें में स्पष्ट प्रावधान ग्राप रखें ताकि यह जमीन की चोरी बन्द हो सके।

282:

MR. SPEAKER: He raised this question earlier.

SHRI PILOO MODY (Godhra): It is a question of foreshore also. I have filed a writ in the High Court of Bombay to stop the Maharashtra Government from selling the land that does not belong to it.

MR. SPEAKER: This is not the stage to make this point. He can deal with it in a separate way.

SHRI PILOO MODY: It is Government of India land they are selling.

14.00 hrs.

भी कमलापित त्रिपाठी: लिमये जी ने जो बात उठाई है उसको वह कंसिड्रेशन स्टेज पर भी उठा सकते थे इस ग्रापित को तब पेश कर सकते थे। वैसे हमारे बिल में प्राविजन किया गया है कि लो बाटर मार्क ग्रीर हाई बाटर मार्क के बीच की जो जमीन पड़ती है उसके ऊपर कब्जा यद्यपि ग्रापके पोर्ट ट्रस्ट का है लेकिन उस में कोई कंस्ट्रक्शन, कोई चीज रखना, किसी को देना लेना यह ग्रधिकार उनको नहीं है

unless it is approved by the Government of India.

श्री मधु लिमये: जो पुराना बम्बई पोर्ट ट्रस्ट एक्ट है उसके तहत सारा फोरगोर पोर्ट ट्रस्ट के तहत है लेंकिन इसके बाबजूद जमीनों की लूट हो रही है भीर चोरी हो रही है। श्री कमलापित त्रिपाठी: पुराना पोर्ट ट्रस्ट एक्ट
पूरा का पूरा रिपील किया जा रहा है। यह मेजर
'पोर्ट ट्रस्ट एक्ट जो है यह उस पर लागू किया
जा रहा है बम्बई पर भी, कलकत्ता पर भी,
'मद्रास पर भी। श्रब परेशानी क्या है? जो
परेशानी है उसको ग्राप कंसिड्रेशन की स्टेज
'पर पेश कर सकते हैं।

श्री मचु लिमये: चोरी हो रही है। लाखों रुपया बाटा जा रहा है। ग्राप कुछ नहीं कर रहे -हैं।

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Major Port Trusts Act, 1963".

The motion was adopted.

SHRI KAMLAPATI TRIPATHI: I introduce* the Bill.

14.05 hrs.

OIL INDUSTRY (DEVELOPMENT)
BILL**

MR. SPEAKER: There is another item under 13A. On the request of the Minister of Petroleum and Chemicals, I have permitted him to introduce a secret Bill without prior circulation of copies of the Bill.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Under what rule of procedure?

MR. SPEAKER: That is within my discretion.

The Minister of Petroleum and Chemicals might now move the motion for leave to introduce the Bill. After the Motion is moved by the Minister and adopted by the House and the Bill is introduced, copies of the Bill will be available at the Publications Counter, and members may collect copies from there.

भी म्रटल बिहारी वाजपेयी : (ग्वालियर) किसी को विरोध करना हो तो कैसे करेगा ?

SHRI MADHU LIMAYE (Banka): This is violative of rule 72.

श्री सटल बिहारी वाजपेयी: कार्रवाही च नाने के कुछ नियम हैं अ.र उन के प्रनुसार विधेयक पहले दिया जाना चाहिए। अगर में प्रारम्भ में ही इसको पेश करते वयत ही इसका विरोध करना चाहता हूं तो बिना विधेयक मेरे हाथ में हुए मैं कैसे इसका विरोध कर सकता हूं? दूसरी बात यह हैं कि किसी नियम को आप रह कर रहे हैं या वेव कर रहे हैं तो उसके लिए सदन की अनुमति चाहिए।

ग्रह्यक्ष महोदय : ग्राप रूल देखें 19बी।

"No Bill shall be included for introduction in the list of business for a day until after copies thereof have been made available for the use of members for at least two days before the day on which the Bill is proposed to be introduced.

Provided that Appropriation Bills, Finance Bills and such secret Bills as are not put down in the list of business may be introduced without prior circulation of copies to members."

श्री ग्रटल विहारी वाजपेयी : पहले ग्रापको सेटिसफाई करना है।

श्री स्यामनस्यन भिन्न (वेगुसराय):
मेरा प्वाइंट ग्राफ ग्राइंर है। ग्रापने जिस कायदे का हवाला दिया है उसके मृताबिक प्रायोर सरक्यूलेशन नहीं होगा लेकिन साइमलटेनियस सरक्यूलेशन नहीं होगा यह कहीं नहीं है। हम जानते ही नहीं है कि क्या इंट्रोडयूस हो रहा है। यह कहां है इस में?

^{*}Introduced with the recommendation of the President.

^{*}Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2. dated 22-7-1974.